संख्या–1098/23–12–2016–700एडीबी0/14

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयः–एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास कार्यकम के अन्तर्गत प्रथम चरण के सिविल कार्यों के सुपरविजन हेतु कंसल्टेन्ट की नियुक्ति के लिये आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, वाहय सहायतित परियोजना के पत्रांक–898/2–08/यू0पी0ए0डी0बी0/सी0ई0डब्लू0बी0/13, दिनांक 11.08.2016, पत्रांक–963/2–08/यू0पी0ए0डी0बी0/सी0ई0डब्लू0बी0/13, दिनांक 26.10.2016, पत्रांक–987/2–08/यू0पी0ए0डी0बी0/सी0ई0डब्लू0बी0/13, दिनांक 03.12.2016 तथा पत्रांक–1013/2–19/यू0पी0ए0डी0बी0/सी0ई0इ0ए0पी0/15, दिनांक 28.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना के प्रथम चरण के सिविल कार्यों के सुपरविजन हेतु कंसल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु आगणन रू0 2774.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 5,00,00,000.00 (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–6 केअध्याय –12 के प्रस्तर–318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत की निर्गत की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर शासन द्वार निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रनगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

22 EAP
04-01-2017

CE(WB)
3/1/17

PD / Sri Sanjay Gupta EE.

3/1/17

Singh sir G.O 2017 (R)

(7) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1 / 2016 / बी–1–746–दस –2016–231 / 2016, दिनांक 22.03.2016 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(13)(च) एवं (छ) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि की आगामी किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्गत की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) कंसल्टेन्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अपने स्तर से उनकी सेवा शर्तों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

3– उक्त कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में '' अनुदान सं0–58 के लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत– 05–अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें–337– सड़क निर्माण कार्य–97– वाहय सहायतित परियोजनायें–9703–एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु –24–वृहद निर्माण कार्य '' मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–ई–8–83 / दस–2017, दिनांक 03 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव

सं0– (1) / 23–12–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
(4) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8
(5) मुख्य अभियन्ता, बाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) लोक निर्माण अनु0–10
(9) वेब मास्टर / वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(काशी प्रसाद तिवारी)
उप सचिव